रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 1988/चैत्र 10, 1910
No. 171] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 1988/CHAITRA 10, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(श्रम प्रभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 30 मार्च, 1988

का.आ. 323(अ) :—बम्बई खाद्यान्न हैंडलिंग श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1975 को रद्द करने के लिये निम्नलिखित प्रारूप स्कीम, जिसे केन्द्रीय सरकार का गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव है, इसे एतद्द्वारा जैसा कि उक्त उपधारा द्वारा अपेक्षित है, इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों

को सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिन की अवधि समाप्त होने पर अथवा उसके बाद विचार किया जायेगा ।

2. उक्त अवधि के अंदर किसी व्यक्ति से प्राप्त कोई आपत्ति/सुझाव पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।

प्रारूप स्कीम

1. (1) लघु शीर्ष और प्रारम्भ—इस स्कीम को बम्बई खाद्यान्न हैंडलिंग श्रमिक (रोजगार का विनियमन) समापन स्कीम, 1988 कहा जाये ।

(2) यह सरकारी राजपत्र में अन्तिम रूप से प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी ।

2. स्कीम का समापन—बम्बई खाद्यान्न हैंडलिंग श्रमिक रोजगार (का विनियमन) स्कीम, 1975 एतद्द्वारा समाप्त की जाती है ।

[फाइल सं. एल बी-13013/6/88-एल-IV]

वी. शंकरलिंगम, निदेशक

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Labour Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1988

S.O. 323(E).—The following draft of a scheme to revoke the Bombay Foodgrain Handling Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1975, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is hereby published as required by the said sub-section, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after expiry of a period of 45 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objection|suggestion which may be received from any person within the said period will be taken into consideration by the Central Government.

## DRAFT SCHEME

1. (1) Short title and commencement—This Scheme may be called the Bombay Foodgrain Handling Workers (Regulation of Employment) Revocation Scheme, 1988.

(2) It shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.

2. Revocation of Scheme—The Bombay Foodgrain Handling Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1975 is hereby revoked.

[F. No. LB-13013|6|88-L. IV]

V. SANKARALINGAM, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988